न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 अुर्जनसिंह पुत्र गायड़सिंह		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण
2 रसाल कंवर बेवा धनसिंह		
3 सन्तोष कंवर पत्नी कल्याणसिंह तमाम अकवाम राजपूत, निवासी पिपाड़ा तहसील जैतारण		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 23.1.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2015 अर्जुनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पिपाडा के खसरा नम्बर 162 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नमबर 203 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त खसरा नम्बरान के बीच कभी भी रास्ता नहीं रहा, किन्तु सेटलमेन्ट की गलती से खसरा नम्बर 162 व 203 के बीच रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि रास्ता खसरा नमबर 203 के पूर्व की तरफ अन्तिम छोर पर स्थित है। अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 203 के पूर्व की तरफ स्वयं की 2 बीघा भूमि रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में सरेण्डर कर दी गई, जो राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 203/1 दर्ज है। इस कारण खसरा नम्बर 202 रेकर्ड से हटाया जावे एवं अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का जवाब नहीं लिया तथा न ही अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया, न कोई तनकीयात कायम की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 162 व 203 के मध्य स्थित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने के कारण अपीलाण्ट के पक्ष में खातेदारी घोषित की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त रास्ते के रूप में अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 2 बीघा भूमि रास्ते हेतु समर्पित की गई है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड एवं मोके के अनुरूप जांच करते हुए निर्णय एवं डिक्री प्रदान की जानी थी, जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय लोक अदालत में पारित करना जाहिर किया, जबकि पक्षकारान में समझौता नहीं होने की स्थिति में लोक अदालत के तहत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में विधिवत कार्यवाही करते हुए राजस्व लोक अदालत में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 19.03.2015 को वाद प्रस्तुत कर ग्राम पीपाडा के खसरा नमबर 202 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित कराने एवं वादीगण द्वारा रासते के लिए समर्पित की गई भूमि खसरा नमबर 203 रकबा 2 बीघा रास्ता में तरमीम कराने का अनुतोष चाहा। वाद के साथ अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रति, नक्शा ट्रेस एवं नामान्तरकरण संख्या 296 की प्रति प्रस्तुत की। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र फालका में उभयपक्ष की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाण्ट का यह दायित्व था कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों को साबित करने हेतु किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत करते, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जो वाद पत्र का समर्थन करता हो। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2015 अर्जुनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली